कार्यालय नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

(अति अल्पकालीन बंदोवस्ती सूचना संख्या– 01/2026–27)

सर्वसाधारण को सूचित किया जात है। कि सिमराही नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सैरात की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए खुली डाक द्वारा अंकित तिथि को कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में की जागगी। कॉलम–5 में अंकित तिथि खुली डाक के लिए निर्धारित है और यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को बन्दोबस्ती नही की जा सकी तो कॉलम–6 में अंकित तिथि को वन्दोवस्ती नहीं हो सकी तो पूनः कॉलम–7 में अंकित तिथि को खुली डाक कराई जाएगी। प्रथम, द्वितीय निर्धारित तिथि को डाक बन्दोबस्ती नही होने की स्थिति में तत्तीय निर्धारित तिथि के बाद प्रत्येक कार्य दिवस मे अपराहन 1:00 वजे डाक बन्दोबस्ती की जाएगी।

सैरात सम्बन्धी विवरणी

क0	सैरात का नाम	प्रस्तावित डाक की राशि	सुरक्षित जमा राशि (@10%)	डाक की निर्धारित प्रथम तिथि	डाक की निर्धारित दूसरी तिथि	डाक की निर्धारित तीसरी तिथि	निर्धारित तीसरी तिथि 19.03.2026 के बाद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमराही हाट–सह–गुदरी बाजार	34,33,671.00	3,43,367.00	17.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	प्रत्येक कार्य दिवस
2	दुर्गापूर–सह–गुदरी बाजार	2,09,300.00	20,930.00	17.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	प्रत्येक कार्य दिवस

विस्तृत जानकारी State.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

28/02/2026

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,सिमराही।

2025-26

कार्यालय नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

(अति अल्पकालीन बंदोबस्ती सूचना संख्या– 01 / 2026–27)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिमराही नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सैरात की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए खुली डाक द्वारा अंकित तिथि को कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत सिमराही की उपस्थिति में की जाएगी। कॉलम –5 में अंकित तिथि खुली डाक के लिए निर्धारित है और यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को बन्दोबस्ती नही की जा सकी तो कॉलम –6 में अंकित दूसरी तिथि को खुली डाक के द्वारा होगा। यदि कॉलम –6 में अंकित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं हो सकी तो पुनः कॉलम –7 में अंकित तिथि को खुली डाक कराई जाएगी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निर्धारित तिथि को डाक बन्दोबस्ती नही होने की स्थिति में तृतीय निर्धारित तिथि के बाद प्रत्येक कार्य दिवस में अपराहन 1:00 बजे डाक बन्दोबस्ती की जाएगी।

सैरात सम्बन्धी विवरणी

क्र0	सैरात का नाम	प्रस्तावित डाक की राशि	सुरक्षित जमा राशि (@10%)	डाक की निर्धारित प्रथम तिथि	डाक की निर्धारित दूसरी तिथि	डाक की निर्धारित तीसरी तिथि	निर्धारित तीसरी तिथि 19.03.2026 के बाद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमराही हाट–सह–गुदरी बाजार	34,33,671.00	3,43,367.00	17.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	प्रत्येक कार्य दिवस
2	दुर्गापूर–सह–गुदरी बाजार	2,09,300.00	20,930.00	17.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	प्रत्येक कार्य दिवस

सैरातों की बन्दोबस्ती की आवश्यक शर्तेः–

1. डाक प्रारम्भ होने के पूर्व डाक वक्ता को प्रस्ताविक डाक की राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि के रूप नगर पंचायत, कार्यालय में जमा करना होगा।
2. डाक समाप्ति के पश्चात, सफल डाक वक्ता को डाक की राशि तुरन्त जमा करना होगा अन्यथा सुरक्षित राशि को जबत कर लिया जाएगा।
3. डाक वक्ताओ को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (पता सहित) की छायाप्रति समर्पित करना आवश्यक होगा।
4. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जी0एस0टी0 निबंधन आयकर, पैनकार्ड के अतिरिक्त नगर पंचायत सिमराही के सभी करों के भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
5. डाक में भाग लेने के पूर्व व्यक्तियों को चरित्र (आचरण) प्रमाण पत्र अद्यतन जमा करना अनिवार्य होगा।
6. डाक में भाग लेने के पूर्व व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि जमा जमा किए जाने के बाद ही डाक में भाग लेने दिया जाएगा।
7. वन्दोवस्ती राशि में किसी प्रकार का छूट किसी भी स्थिति में विचारणीय नहीं होगा।
8. अनुमान्य स्टाम अधिनियम के अंतर्गत बन्दोबस्ती राशि पर अतिरिक्त रूप से अनुमान्य निबंधन शुल्क (@5%) (कुल@10% की राशि) 10 प्रतिशत की दर से शुल्क की राशि देय होगा।
9. अनुमान्यता के आधार पर सफल डाकधारी के GST के राशि का भुगतान Reverse Charge Mechanism के प्रावधान के अंतर्गत अनुमान्य प्रचलित दर पर (GST18%) जमा करके चालान

28/02/2026

की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में जमा करना होगा तभी कार्यालय के स्तर से एकरारनामा किया जाएगा।

10. डाक समाप्ति के पश्चात् उच्चतम डाक वक्ता को उसी दिन डाक की सम्पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता के पक्ष में बन्दोबस्ती कर दी जाएगी।
11. सफल डाकधारी को सूचना में अंकित बिंदुओं पर एकरारनामा दिनांक– 19.03.2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। एकरारनामा के बाद ही परवाना निर्गत किया जाएगा।
12. किसी भी स्थिति में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली नही की जाएगी। निर्धारित शुल्क वसूली से संबंधित रसीद की व्यवस्था डाकधारी को अपने खर्च पर करना होगा।
13. उच्चतम डाकधारी को सिमाराही नगर पंचायत कि दो होल्डिंग धारक से जमानत देना होगा
14. सफल डाकधारी कार्यालय द्वारा निर्धारित दर पर ही टॉल की वसूली की जाएगी। टॉल की राशि अधिक वसूली की शिकायत/सबूत पाये जाने पर बन्दोबस्ती रद्द कर कानूनी कारवाई की जाएगी ।
15. बन्दोबस्ती स्थान /बाजार की सफाई व्यवस्था की जिमेंदारी डाकधारी की होगी तथा अतिक्रमण पाया जाता है। तो डाकधारी के विरूद्व नियमानुसार कारवाई की जाएगी।
16. डाकधारी का यह जिम्मेदारी होगा कि कोई भी व्यक्ति सैरात स्थल का अतिक्रमण नही करे, यदि अतिक्रमण पाया जाता है कि डाकधारी के विरूद्व नियमानुसार कारवाई की जाएगी।
17. नगर पंचायत सिमराही कार्यालय के द्वारा समय समय पर निर्गत किए गए आदेश/निर्देश बन्दोबस्तीधारी को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
18. किसी भी स्थिति में डाकधारी को नगर पालिका अधिनियम, सरकारी निदेश एवं नगर पंचायत, सिमराही के शर्तो का उलघंन करने का अधिकार नही होगा।
19. टॉल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल एवं नगर पंचायत, सिमराही द्वारा निर्धारित दर/शुल्क पर करनी होगी
20. बन्दोबस्त क्षेत्र में किसी तरह का स्थाई/अस्थाई प्रतिकृति के संरचना का निर्माण वर्जित रहेगा।
21. उच्चतम डाक वक्ता को टॉल वसूली करने वाले कर्मियों के फोटोयुक्त चरित प्रमाण पत्र नगर पंचायत कार्यालय मे जमा करना होगा
22. डाक बन्देाबस्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी नगर पंचायत,सिमराही कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी देखाा जा सकता है।
23. बन्दोबस्ती के लिए डाक में भाग लेने वाले वक्ता नगर पंचायत, सिमराही का बकाया रहित प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. नगर कार्यपालक पदाधिकारी को बन्दोबस्ती को किसी भी समय बिना कारण बताए स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का सर्वाधिकारी सुरक्षित रहेगा।
25. किसी भी स्थिति में डाक बन्दोबस्ती का संम्पूर्ण भाग अथवा अंश को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का अधिकारी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत सिमराही को सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
26. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सिमराही (बीरपुर अनुमंडल) सुपौल होगा
27. सैरातों के बन्दोबस्ती संबंधी विस्तृत जानकारी WWW.PRDBIHAR.GOV.IN पर प्राप्त की जा सकती है। अथवा नगर पंचायत, सिमराही कार्यालय के कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

28/02/2026

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

ज्ञापांक – 199 सिमराही, दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सैरातों की बन्दोबस्ती सूचना– 01/2026–2027 की प्रति राज्य के प्रमुख 2 (दो) समाचार पत्रों में प्रकाशित करने एवं विस्तृत सैरातों की बन्दोबस्ती सूचना विभागीय वेबसाईट WWW.PRDBIHAR.GOV.IN पर अपलोड करने की कृपा की जाए। अनुरोध है कि सैरातों की बन्दोबस्ती सूचना दिनांक– 10.03.2026 तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

ज्ञापांक– 199 /सिमराही,दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य पार्षद /उप मुख्य पार्षद/वार्ड पार्षदगण, नगर पंचायत सिमराही को सूचनार्थ एवं व्यपक प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

ज्ञापांक– 199 /सिमराही,दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– थानाध्यक्ष, नगर थाना राघोपुर को सुचनार्थ प्रेषित/अनुरोध है कि अपरोक्त निर्धारित तिथियों को पर्याप्त मात्रा में नगर पंचायत कार्यालय,सिमराही में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

ज्ञापांक– 199 /सिमराही,दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, बीरपुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

ज्ञापांक– 199 /सिमराही,दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी सुपौल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)

ज्ञापांक– 199 /सिमराही,दिनांक– 28/02/2026

प्रतिलिपिः– सरकार के विशेष सचिव,नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमराही (सुपौल)